बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–................................/ पटना, दिनांकः–............................
02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान–14–21/18

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, बेला, फेज–1 प्लॉट पर प्रशिक्षण केन्द्र (छात्रावास सहित) भवन निर्माण हेतु कुल ₹700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के अनुमानित लागत की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–23.11.2018 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर माननीय मंत्री उद्योग विभाग का अनुमोदन् सं0सं0–*02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान–14–21/18* के पृष्ट सं0–06/टि0 पर प्राप्त होने के उपरांत ज्ञापांक–88/DI, दिनांक–26.11.2018 द्वारा निर्गत कार्यवाही के आलोक में औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, बेला, फेज–1 प्लॉट के 1/2 एकड़ जमीन पर प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार (आयडा), पटना द्वारा तैयार पी0पी0आर0 एवं नक्शा के अनुसार कुल ₹700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के अनुमानित लागत की योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण का कार्य आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार (आयडा), पटना द्वारा कराया जाएगा एवं राशि के व्यय में बिहार वित्तीय नियमावली में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

3. उक्त राशि का व्यय वहन वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्यशीर्ष–2852 उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष–0163, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख–रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, मॉग सं0–23, विपत्र कोड–23-2852.80.102.0163.27 अन्तर्गत विषय शीर्ष–0163.27.01 लघु कार्य मद में उपबंधित राशि से विकलित होगा, जिसके लिए यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध हैं।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नोडल पदाधिकारी प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), पटना होंगे।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का समय–समय पर अनुश्रवण करेंगे।

6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी0टी0सी0 फार्म सं0–46, पर होगी तथा इस राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार (आयडा), पटना के पी0एल0 खाता सं0–268, में उपलब्ध कराई जाएगी। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8244, दिनांक–02.08.10 एवं पत्रांक–500, दिनांक–18.01.11 में निहित अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से माननीय मंत्री की स्वीकृति संचिका सं0–*02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान–14–21/18* के पृष्ट–06/टि0 पर प्राप्त है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–*02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान–14–21/18* , के पृष्ट सं0–09/टि0 पर प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ट–02 पर...

9. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./
02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान–14–21/18
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपि.–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................./
02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान–14–21/18
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4418 /
02/उ०नि०/प्रशिक्षण संस्थान–14–21/18
पटना, दिनांक 10.12.18

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/आधारभूत संरचना विकास प्रधिकार (आयडा), पटना/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा), पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–2 (उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive sujeet Dharmendra sir \Sanction Order/2015-16---------184